संख्या–4038 / 9–आ–3–2000–01विविध / 2000

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 18 दिसम्बर, 2000

विषय : भू–अर्जन के फलस्वरूप घोषित अभिनिर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2819 / 9–आ–3–2000–01वि / 2000, दिनांक 04.09.2000 के संदर्भ में सचिव, राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या– 2158 / 1–13–2000–4–3(2) / 2000–टी0सी0–ए दिनांक 09.11.2000 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उक्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या–एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि सचिव, राजस्व अनुभाग–13 को उपर्युक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या–2158 / 1–13–2000–4–3(2) / 2000–ट ी0सी0–ए

प्रेषक,

योगेश कुमार,
सचिव,
राजस्व विभाग, उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्यापित) समस्त विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–13 लखनऊ : दिनाँक : 09 नवम्बर, 2000

विषय : अभिनिर्णय घोषित करने के पूर्व अर्जन निकाय को प्रतिकर की दर के सम्बन्ध में पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना।

महोदय,

विदित ही है कि भू–अर्जन की कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्राविधानों के अर्न्तगत जिलाधिकारियों के माध्यम से की जाती है और जिलाधिकारी द्वारा अर्जित भूमि का उचित प्रतिकर निर्धारित करते हुए अभिनिर्णय घोषित किया जाता है। अर्जन निकायों की ओर से प्रतिकर निर्धारित करने के पूर्व उनकी सुनवाई न किये जाने की बात प्रायः कही जाती है, जबकि जिलाधिकारियों द्वारा अभिनिर्णय घोषित करने के पूर्व अर्जन निकायों को प्रतिकर की धनराशि आदि के बारे में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देने का प्राविधान भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 की धारा–50 (2) में उपलब्ध है।

2. सम्भवतया अर्जन निकायों द्वारा इन प्राविधानों की सम्यक जानकारी न होने के कारण उक्त बात कही जाती है। इस संबंध में उक्त धारा–50(2) का संगतउद्धरण निम्नवत है :–
धारा–50(2) ऐसे मामलों में जो कोई कार्यवाही कलेक्टर या न्यायालय के समक्ष होती है, उसमें संयुक्त स्थानीय प्राधिकारी या कम्पनी उपसंजात हो सकेगी और प्रतिकर की रकम के अवधारित करने के प्रयोजन से साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगी, परन्तु कोई ऐसा स्थानीय प्राधिकारी या कम्पनी धारा–18 के अधीन निर्देश कराने की हकदार न होगी।
3. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्जन निकाय द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 की धारा–50 (2) के अन्तर्गत साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने संबंधी प्राविधान का जिलाधिकारियों द्वारा संज्ञान में लेते हुए अभिनिर्णय घोषित किये जायें।
कृपया संबंधित अधिकारियों / अर्जन निकायों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

योगेश कुमार,
सचिव

संख्या व दिनांक उपरोक्त

1. प्रतिलिपि निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को इस अभ्यक्ति सहित प्रेषित कि उक्त शासनादेश की अपेक्षानुसार आवश्यक निदेश अपने अधीनस्थ अधिकारियों/अर्जन निकायों को अपने स्तर से जारी करने का कष्ट करें।
2. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. समस्त उपाध्याक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4 प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास, कानपुर।
5. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई/लोक निर्माण विभाग।
6. निदेशक, कृषि उत्पादन मण्डी परिषद।

आज्ञा से,

योगेश कुमार
सचिव